पत्रांक 07/विविध-02/2021-174

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०,
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी, बिहार।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक :– 05/02/2021

विषयः– **कोविड संक्रमण–19 के कारण बंद मध्य विद्यालय (वर्ग 6–8) को खोलने के संबंध में।**

प्रसंगः– आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक–01/प्र०आ० (कोविड–19)–10/2020 (खण्ड)/4004/आ०प्र०, पटना, दिनांक 19.12.2020।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 29.01.2021 को मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 में निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों (वर्ग 6–8) को खोलने के संबंध में निम्न निर्णय लिए गये :–

1. दिनांक 08.02.2021 (सोमवार) से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 6वीं से 8वीं कक्षा को चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। जबकि Faculty (शिक्षक) पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित होंगे।
2. सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 02 मास्क का वितरण "जीविका" के माध्यम से किया जाएगा।

विद्यालय को खोलने के पूर्व की तैयारी :–

1. विद्यालय में साफ–सफाई की सुविधा, डिजीटल थर्मामीटर, सेनेटाईजर, साबुन आदि की व्यवस्था संबंधित विद्यालय/विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाना।
2. विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किये जाने के पूर्व संबंधित विद्यालय द्वारा सेनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाना।

विभिन्न टास्क टीम का गठन करना :–

1. विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी करने के लिए उत्तरदायी टीम का गठन किया जाए, जो विद्यालय के सेनेटाईजेशन साफ–सफाई, समाजिक दूरी आदि के लिये

उत्तरदायी होगा। इस टीम में विद्यार्थी/शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को उत्तरदायित्व दिया जाय।

विद्यालय में बैठने की व्यवस्था :–

1. गाईड लाईन के अनुसार विद्यार्थी के बीच कम–से–कम छः फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाय/विद्यालय में एक सीट का बेंच–डेस्क हो तो इसे भी छः फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाय।
2. इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रुम/कार्यालय/आगत कक्ष में भी छः फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित किया जाय।
3. विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाय।
4. विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाय, ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो।
5. पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक/विद्यार्थी के लिये किया जाय।
6. विद्यालय के वर्ग कक्ष/बाहरी नोटिस बोर्ड/दीवार आदि पर समाजिक दूरी का पालन करने/मास्क लगाने/सेनेटाईजेशन/हाथ सफाई/यत्र–तत्र थूक फेंकने पर प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए।
7. विभिन्न स्थलों यथा–आगंतुक कक्ष/हाथ सफाई स्थल/पेय जल केन्द्र/टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह छः फीट की दूरी पर निशान बनाया जाय।
8. यदि वर्ग–कक्ष का साईज छोटा हो तो कम्प्यूटर रुम, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं छः फीट की दूरी का पालन करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

विद्यालय की समय–तालिका :–

1. विद्यालय, जिसमें नामांकन अधिक है, को दो पाली में संचालित किया जाय तथा प्रत्येक पाली के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है।

विद्यालय में होने वाले आयोजन/बैठक के संबंध में :–

1. विद्यालय को वैसे आयोजन से बचना चाहिए, जहाँ भौतिक/सामाजिक दूरी का पालन करना संभव न हो।
2. समारोह/त्योहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चााहिए।
3. विद्यालय एसेम्बली कक्षा शिक्षक के दिशा–निर्देश में विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग–अलग किया जा सकता है, जिसमें सामाजिक/भौतिक दूरी का पालन किया जा सके।
4. यदि संभव हो तो अभिभावक–शिक्षक बैठक वर्चूअल किया जा सके।
5. यदि संभव हो तो ऑनलाईन नामांकन संचालन करने की व्यवस्था की जाय।

चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना :–

1. विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक/नर्स/डॉक्टर/काउंसेलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय, जो विद्यार्थियों के शारीरिक/मानसिक जाँच हेतु उपलब्ध रहे।
2. विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था की जाय।

सूचना संकलन :–

1. सभी विद्यार्थी/अभिभावक/माता–पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति/अद्यतन यात्रा (अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय) से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाय।

विद्यालय संस्थान खोलने के बाद की तैयारी :–

1. कैम्पस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था की जाय। विद्यालय का कैम्पस की प्रतिदिन सफाई हो एवं जिस क्षेत्र की सफाई की गयी है, उसका अभिलेख संधारित किया जाय। ध्यान रहे कि विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाय।
2. पर्यावरणीय सफाई एवं शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों का निस्तार, पेय जल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाय।
3. सामान्यतः छुए जाने वाले तल यथा–दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच–डेस्क आदि का निरंतर सफाई एवं सेनेटाईजेशन किया जाय।
4. सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सेनेटाईजेशन किया जाय।
5. कचरा का निस्तार डस्टबीन में किया जाना चाहिए, यत्र–तत्र फेंकने से बचना चाहिए। डस्टबीन साफ एवं पूरी तरह ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए।
6. हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसके लिए एक शिक्षक/कर्मी को उत्तरदायी बनायी जाय।
7. बाथरुम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. पीने हेतु साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
9. विद्यालय खोलने के पूर्व एवं बंद होने के बाद उचित सेनेटाईजेशन की व्यवस्था किया जाय।

विद्यार्थियों को विद्यालय में सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था :–

1. सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के कर्मी, जो कार्य पर आएंगे, उन्हें नियमित रुप से फेस कवर/मास्क पहनने का निदेश दिया जाय। विशेषकर उस समय, जब वे वर्गकक्ष में हों या समूह में कोई कार्य कर रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों।
2. विद्यार्थियों को परस्पर, एक–दूसरे का मास्क अदला–बदली नहीं करने का निदेश दिया जाय।
3. जहाँ तक संभव हो, विद्यालय को संपर्कविहीन उपस्थिति पद्धति, ऑनलाईन प्रस्तुति प्रक्रिया को अपनाया जाय।
4. सभी विद्यार्थियों को नाक, आँख, कान, मुँह आदि से छुने से बचने एव खाँसी, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाय। यत्र–तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाय।
5. सभी सफाई स्टाफ/वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण यथा– ग्लब्स, फेस कवर, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।
6. विद्यार्थियों को घर से ही पका–पकाया पौष्टिक खाना लाने को कहा जाय तथा भोजन साझा नहीं किया जाय।
7. बाहरी भेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाय।

विद्यार्थियों को सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था :–

1. विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बार (एक बार विद्यार्थियों को लाने के पहले एवं दूसरी बार विद्यालय से प्रस्थान के पूर्व) सेनेटाइज किया जाय।

2. विद्यालय बस के चालक/उप चालक को सभी समय सामाजिक एवं भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाय। यदि आवश्यक हो तो सामाजिक दूरी का पालन हेतु छः फीट दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाय।
3. जहाँ तक संभव हो बस पर चढने के समय सभी बच्चों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाय।
4. बगैर मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाय। बस के सभी खिड़कियों में पर्दा नहीं रखा जाय। सभी खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए।
5. वातानुकूलित बसों के लिए CPWD द्वारा निर्गत गाईड लाईन के अनुसार 24 से 30 डिग्री सेलसीयस एवं सापेक्ष आद्रता 40 से 70 प्रतिशत होनी चाहिए।
6. विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हैण्ड सेनेटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. परीक्षाओं के दौरान किसी कक्षा के छात्रों की क्षमता को stagger न करते हुए पूरी कक्षाओं को ही stagger करने का निर्णय लिया गया जिससे किसी कक्षा विशेष के सभी छात्रों की विषय विशेष की परीक्षा एक ही दिन ली जा सके।

इस संबंध में विस्तृत दिशनिर्देश विद्यालय के संबंध में weblink https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf पर देखा जा सकता है।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं इसके कार्यान्वयन हेतु संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का सहयोग लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

5/2/2021

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 7/विविध–02/2021/174 पटना, दिनांक 05.02.2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/2/2021

प्रधान सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 7/विविध–02/2021–174 पटना, दिनांक 05.02.2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा एवं प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/2/2021

प्रधान सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।